

तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का खोंचपुरी बनाम
पुत्र भाग्यचन्द जाति भोना निवासी साधपुर तहसील

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री हरभोग्या ने ग्राम साधपुर को भूमि ख.न. 202 रकबा 0.03 किस्म चरागाह फसल रोबि / खसीफ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 202 रकबा 0.03 किस्म चरागाह वाके ग्राम साधपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.48 का 50 गुणा 24 का शक्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया तहसीलदार महवा (दौसा)

राजिस्टर ग/व को फेज नं०... 53 ...पर
वर्ष 2017-18
की राशि 24 का
की जमा 24 का
दिनांक : 5/3/18 तहसील महवा
लेखाकार Poshay
तहसील-महवा